"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर 2019—अग्रहायण 1, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2019

क्रमांक ई 1-09/2018/एक-2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03-10-2019 के सरल क्रमांक 3 में उल्लेखित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 19 नवम्बर 2019

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/21416/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पाली	सरईसिंगार	0.551 हे.	हरदीबाजार बायपास लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) सी.सी. सड़क निर्माण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27-11-2019 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन ..... में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	हरदीबाजार बायपास लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) सी.सी. सड़क निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8916.75 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	प्रस्तावित परियोजना बसाहट से पृथक होने के कारण कोयला परिवहन की लागत कम होगी तथा मार्ग में दुर्घटना की संभावना कम होने के साथ-साथ रोजगार के अवसर खुलेंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाए किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा को राशि रुपये 5.00 लाख का भुगतान चेक क्र. 833124 दिनांक 20.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 20 नवम्बर 2019

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/21425/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पाली	नेवसा	0.146 हे.	हरदीबाजार बायपास लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) सी.सी. सड़क निर्माण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27-11-2019 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन ..... में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	हरदीबाजार बायपास लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) सी.सी. सड़क निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8916.75 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	प्रस्तावित परियोजना बसाहट से पृथक होने के कारण कोयला परिवहन की लागत कम होगी तथा मार्ग में दुर्घटना की संभावना कम होने के साथ-साथ रोजगार के अवसर खुलेंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाए किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा को राशि रुपये 5.00 लाख का भुगतान चेक क्र. 833124 दिनांक 20.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 20 नवम्बर 2019

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/21427/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पाली	अण्डीकछार	1.430 हे.	हरदीबाजार बायपास लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) सी.सी. सड़क निर्माण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 26-11-2019 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन ..... में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	हरदीबाजार बायपास लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) सी.सी. सड़क निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	11 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8916.75 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	प्रस्तावित परियोजना बसाहट से पृथक होने के कारण कोयला परिवहन की लागत कम होगी तथा मार्ग में दुर्घटना की संभावना कम होने के साथ-साथ रोजगार के अवसर खुलेंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाए किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा को राशि रुपये 5.00 लाख का भुगतान चेक क्र. 833124 दिनांक 20.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 20 नवम्बर 2019

प्रारूप–एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/21429/भू–अर्जन/2019.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पाली	रेंकी	1.972 हे.	हरदीबाजार बायपास लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) सी.सी. सड़क निर्माण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 26–11–2019 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन ..... में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	हरदीबाजार बायपास लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) सी.सी. सड़क निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	19 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8916.75 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	प्रस्तावित परियोजना बसाहट से पृथक होने के कारण कोयला परिवहन की लागत कम होगी तथा मार्ग में दुर्घटना की संभावना कम होने के साथ–साथ रोजगार के अवसर खुलेंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाए किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा को राशि रुपये 5.00 लाख का भुगतान चेक क्र. 833124 दिनांक 20.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 20 नवम्बर 2019

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/21431/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पाली	बम्हनीकोना	1.879 हे.	हरदीबाजार बायपास लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) सी.सी. सड़क निर्माण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27-11-2019 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन ..... में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	हरदीबाजार बायपास लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) सी.सी. सड़क निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	09 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8916.75 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	प्रस्तावित परियोजना बसाहट से पृथक होने के कारण कोयला परिवहन की लागत कम होगी तथा मार्ग में दुर्घटना की संभावना कम होने के साथ-साथ रोजगार के अवसर खुलेंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाए किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा को राशि रुपये 5.00 लाख का भुगतान चेक क्र. 833124 दिनांक 20.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2019

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/क/भू-अर्जन/16/अ-82/2017-2018.—भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(2) के तहत यह घोषित किया जाता है कि ग्राम मरेठा, तहसील बकावण्ड की नीजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होंगे.

क्र.	पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव	क्या उपलब्ध कराया गया है यदि उपलब्ध कराया गया है तो ब्यौरा दें
1.	विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था	लागू नहीं होता.
2.	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता.
3.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता.
4.	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/दिनांक 29-8-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की अनुसूची "दो" की कण्डिका-4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
5.	विस्थापित कुटुंबो के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान.	लागू नहीं होता.
6.	विस्थापित कुटुंबो के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता.
7.	पशु बाड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता.
8.	कारीगरों छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान.	लागू नहीं होता.
9.	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता.
10.	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता.
11.	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता.

2. तद्नुसार आज दिनांक ..... को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अय्याज तांबोली, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

क्रमांक 23/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	कुम्हारी प.ह.नं. 11	1.182	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर (छ.ग.).	सिवनी मरवाही मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

क्रमांक 24/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	चिचगोहना प.ह.नं. 4	2.792	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर (छ.ग.).	सिवनी मरवाही मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

क्रमांक 25/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	मरवाही प.ह.नं. 4	0.248	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर (छ.ग.).	सिवनी मरवाही मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2019

क्रमांक 26/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	पण्डरी प.ह.नं. 3	0.764	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर (छ.ग.).	सिवनी मरवाही मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 7 सितम्बर 2019

क्रमांक/17120/28/अ-82/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-कुटेलामुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
107	0.02
108	0.12
111	0.02
112	0.02
115/1	0.05
115/4	0.02
योग 5	0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रजकम्मा एनीकट योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 सितम्बर 2019

क्रमांक/17338/03/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-बतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.65 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
136/2	1.93
137/1	0.50
137/2	0.70
168/2	2.40
कक्ष क्र. 1003	1.98
कक्ष क्र. 1003	0.99
कक्ष क्र. 1003	0.99
कक्ष क्र. 1003	1.48
कक्ष क्र. 1003	1.68
कक्ष क्र. 1003	0.70
कक्ष क्र. 1003	0.30
योग 11	13.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खारून व्यपवर्तन योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर, दिनांक 16 सितम्बर 2019

क्रमांक/क/भू-अर्जन/16/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बकावण्ड
- (ग) नगर/ग्राम-मरेठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.18 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	436	0.06
	264	0.06
	434	0.04
	413	0.26
	412	0.15
	410	0.04
	414	0.01
	409	0.52
	432	0.04
योग		1.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मरेठा-सोरगुडा मार्ग के कि.मी. 2/2 में मारकण्डी नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अय्याज तांबोली, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला-जशपुर (छ.ग.)

जशपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्रमांक/1096/भू.अभि./प्र.सहा.अधी./2019.—आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ नया रायपुर का पत्र क्रमांक/1896/आ.भू.अ./सर्वे तक/2018 नया रायपुर दिनांक 25-05-2018 के अनुसार राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के तहत छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 90 में निहित शक्तियों के तहत् संहिता की धारा 68, 69, 70, 72 एवं 73 की शक्तियों के प्रयोग करने हतु कलेक्टर को अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप संबंधित धाराओं की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जशपुर के ग्राम कुदमुरा, प.ह.न. 36 के पारा मोहल्ला दोन्दरोघाट (दोन्दरोघाट, चुल्हापानी) को ग्राम कुदमुरा से अपवर्जित करके (दोन्दरोघाट हेतु प्रस्तावित नियमानुसार क्षेत्रफल जनसंख्या समाविष्ट कर) पृथक राजस्व ग्राम दोन्दरोघाट घोषित किया जाता है.

01. ग्राम कुदमुरा व दोन्दरोघाट का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की स्थिति निम्नानुसार है :—

क्रमांक	जानकारी का विषय	ग्राम कुदमुरा का विवरण	ग्राम दोंदरोघाट का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ग्राम के मूल खसरा नंबरों की संख्या	609	465
2.	ग्राम के कुल खाता संख्या	269	163
3.	खाता का क्षेत्रफल हे. में	381.402	223.043
4.	गैर खाता का क्षेत्रफल हे. में	214.78	282.685

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	ग्राम का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हे. में	596.182	505.728
6.	ग्राम की जनसंख्या (2011 के अनुसार)	1153	954

02. उपरोक्त अपवर्जन के फलस्वरूव जिला जशपुर के तहसील बगीचा में राजस्व ग्राम की संख्या 144 के स्थान पर 145 तथा जिले के कुल ग्रामों की संख्या 766 के स्थान पर 767 होगा.

निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 3 जुलाई 2019

क्रमांक 6830/चेकर/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1/मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सुकमा अपने घोषित कार्य स्थल सुकमा के अतिरिक्त कोंटा में भी प्रत्येक माह में एक दिवस बैठक करेंगे.

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 3807/तीन-10-11/2000 दिनांक 13 मई, 2015 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बचेली की श्रृंखला न्यायालय कोंटा से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. 6830/Checker/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh Bilaspur hereby directs that the Civil Judge Class-I/CJM, Sukma in addition to his place of sitting at Sukma declared shall aslo sit at Konta for a day in every month.

The notification No. 3807/III-10-11/2000 dated 13th May, 2015 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of the Civil Judge Class-II, Bacheli at Konta is hereby cancelled.

By order of the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.